

प्रादेशिक समाचार
दिनांक—24.09.2025 (संध्या—1900 बजे)
मुख्य समाचार

1. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 95 हजार करोड़ रुपये के छह प्रस्तावों को दी मंजूरी, तिलैया—बख्तियारपुर—राजगीर रेललाइन के दोहरीकरण को मंजूरी, रेलकर्मियों को 78 दिनों का मिलेगा बोनस।
2. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति, सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए मंत्री समूह का गठन।
3. स्वास्थ्य विभाग में हुए टेंडर घोटाले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के दिये आदेश।
4. गुमला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दो इनामी सहित तीन नक्सली ढेर, एके छप्पन सहित तीन हथियार और अन्य सामान बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
5. झारखंड हाईकोर्ट में पेसा अवमानना याचिका पर सुनवाई, आदेश के बावजूद नियमावली लागू होने में विलंब पर उच्च न्यायालय नाराज।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 95 हजार करोड़ रुपये के छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में बख्तियारपुर—राजगीर—तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 डबल्यू के साहेबगंज—अरेराज—बेतिया खंड के चार लेन के निर्माण को भी हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। उन्होंने बताया कि मंत्रियों का समूह क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।

रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में इंजिनियर्स डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया को याद किया गया। इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में अभियंताओं की भूमिका काफी अहम होती है। उन्होंने अभियंताओं से झारखंड को भी विकसित राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि स्वास्थ्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। श्री मरांडी ने दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जानबूझकर प्रतिस्पर्धा को सीमित कर कुछ विशेष व्यक्तियों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ० इरफान अंसारी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति है। डॉ० अंसारी ने कहा है कि टेंडर अनियमितता का जो मामला सामने आया है, वह उनके कार्यकाल का नहीं है। उन्होंने मामले की जांच का आदेश देते हुए कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तीन सदस्यीय निरीक्षण दल झारखंड के पांच दिवसीय दौरे पर है। अभियान के तहत रांची समेत राज्यभर में अब तक 31 हजार से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में 15 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़े। इस दौरान लाखों महिलाओं की हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, टीबी, बीपी, सिकल सेल, एनीमिया जैसी बीमारियों की जांच की गयी।

जीएसटी में लागू किए गए अगली पीढ़ी के सुधार, देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। नई कर दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू हो चुकी हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करने वाले ये सुधार लोगों को काफी राहत दे रहे हैं। एक रिपोर्ट—

नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को आज एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के पांच-पांच लाख रुपये के दो इनामी सहित तीन सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने गुमला में पत्रकारों से बातचीत के बताया कि मारे गये उग्रवादियों के पास से एक एके छप्पन, एक इन्सास, एक एसएलआर, कारतूस और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष दिसंबर तक उग्रवादी और नक्सली या तो मारे जाएंगे या फिर सलाखों के पीछे होंगे।

पेसा नियमावली लागू नहीं किये जाने से जुड़े अवमानना मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने पेसा नियमावली तैयार करने को लेकर राज्य सरकार को एक बार फिर सख्त निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि अगली सुनवाई से पहले पेसा नियमावली तैयार कर अदालत में पेश की जाये। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर तय की है। साथ ही पेसा नियमावली तैयार न होने तक राज्य में माइनर मिनरल के आवंटन पर लगी रोक को हटाने से भी इनकार कर दिया है।

भाजपा के प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा ने लातेहार दौरे के क्रम में त्यौहारों के दौरान लोगों से स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी की अपील की। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता—
